

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 13.08.2026

माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के अन्तर्गत **Physical Educaion** विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र-प्रथम एवं प्रश्न पत्र-द्वितीय की लिखित परीक्षा (Objective Type) दिनांक 11.06.2026 को आयोजित की गई।

विस्तृत विज्ञापन दिनांक 17.07.2025 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा (Objective Type) के प्राप्तांकों के अतिरिक्त उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले Sports Certificates के आधार पर अधिकतम 40 अंक में से Awardable Marks प्रदान किये जाने हैं।

अतः अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले Sports Certificates के अंक निर्धारण किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा में उपस्थित तथा विज्ञापित पदों, सम्बन्धित सेवानियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची (List of Candidates, Who Scored Minimum Qualifying Marks As per Service Rules for Eligibility Checking & Decide Award Marks according Sports Certificates) निम्नानुसार है:-

रोल नम्बर

2346003	2346074	2346082	2346084	2346146	2346178
2346185	2346279	2346307	2346352	2346442	2346465
2346480	2346491	2346535	2346544	2346551	2346594
2346648	2346666	2346674	2346689	2346715	2346769
2346805	2346848	2346961	2346970	2347008	2347062
2347129	2347163	2347219	2347225	2347228	2347260
2347273	2347294	2347334	2347395	2347488	2347573
2347578	2347630	2347706	2347708	2347714	2347721
2347729	2347731	2347754	2347826	2347837	2347850
2347947	2347963	2348058	2348124	2348129	2348156
2348180	2348206	2348397	2348449	2348450	2348475
2348632	2348671	2348674	2348677	2348729	2348758
2348860	2348919	2349076	2349101	2349136	2349211
2349215	2349225	2349253			

TOTAL CANDIDATES:- 81

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन एवं खेल अंक निर्धारण के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने एवं खेल अंक निर्धारण के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उक्त सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से **recruitment portal** पर **My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now** का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें एवं स्वयं के खेल प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने एवं खेल प्रमाण-पत्र अपलोड करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 19.08.2026 से दिनांक 25.08.2026 (रात्रि 11:59) तक

लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों खेल प्रमाण-पत्रों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के उक्त विषय-Physical Education के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची मय खेल अंक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

नोट:-

आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 17.07.2025 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 20 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 20 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर पृथक से आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जा रहे हैं।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव